रितु बहरी और अशोक कुमार वर्मा से पहले, जे. जे.

राजवीर सिंह अपीलकर्ता

बनाम

का गगनजोत कौर प्रतिवादी एफ. ए. ओ. No.1931 साल 2019

09 मार्च, 2022

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-खंड 9,12 और 13-भारतीय दंड संहिता, 1860-खंड। 498-ए, 323 और 504-दहेज निषेध अधिनियम, 1961-एस. 3 और 4-पारिवारिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ पति की अपील, जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को रद्द करने और भंग करने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था-क्रूरता और त्याग के आधार-पर्याप्त अवधि के लिए अलगाव-यदि कोई पक्ष तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करता है-यह धारणा कि विवाह टूट गया है-अदालत को पक्षों के बीच सुलह करने का प्रयास करना चाहिए-यदि टूटना अपूरणीय है-तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए-अव्यवहारिक विवाह-बड़े दुख का स्रोत-10 साल से अधिक समय से अलग रहने वाले पक्ष-1955 अधिनियम की खंड 9 के तहत पति की याचिका-पत्नी की जवाबी प्राथमिकी में पति की मां का नाम हटा दिया गया-पति की अपील मंजूर-तलाक मंजूर।

माना जाता है कि वैवाहिक मामले नाजुक मानवीय और भावनात्मक संबंधों के मामले हैं।यह जीवनसाथी के साथ उचित समायोजन के लिए पर्याप्त खेल के साथ आपसी विश्वास, सम्मान, सम्मान, प्रेम और स्नेह की मांग करता है।संबंधों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। आदेश इसे व्यक्तियों के हित के साथ-साथ व्यापक परिप्रेक्षय में नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक अच्छी तरह से बुना हुआ, स्वस्थ और अशांत और छिद्रपूर्ण समाज बनाने के लिए वैवाहिक मानदंडों को विनियमित किया जा सके।विवाह की संस्था सामान्य रूप से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका निभाती है।

(पैरा 11) अपीलकर्ता पति द्वारा दायर याचिका के प्रतिवाद के रूप में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता, उसकी माँ और पिता के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 498-ए, 323,504 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत उपरोक्त प्राथमिकी आर. दर्ज की ।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता की माँ का नाम उपरोक्त प्राथमिकी आर. से हटा दिया गया है। राजवीर सिंह बनाम गगनजोत कौर दायर करने में प्रत्यर्थी-पत्नी का आचरण

कैंसर से पीड़ित अपनी सास के खिलाफ निराधार, अभद्र और मानहानिकारक आरोप लगाने की शिकायत से संकेत मिलता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए कि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता को जेल में डाल दिया जाए और अपीलकर्ता को उसकी नौकरी से हटा दिया जाए ।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आचरण ने अपीलार्थी-पति के प्रति मानसिक क्रूरता पैदा की है।

(पैरा 18) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक बार जब पक्ष अलग हो जाते हैं और पर्याप्त समय तक अलगाव जारी रहता है और उनमें से किसी ने भी तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की है, तो यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि विवाह टूट गया है ।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को पक्षों के बीच सुलह करने का गंभीरता से प्रयास करना चाहिए; फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि टूटना अपूरणीय है, तो तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए ।लंबे समय से प्रभावी नहीं रहने वाले अव्यवहारिक विवाह के कानूनी संरक्षण के परिणाम पक्षों के लिए अधिक दुख का स्रोत होने के लिए बाध्य हैं।

(पैरा 25)

अमिताभ तिवारी, अधिवक्ता,

अपीलकर्ता के लिए।

ध्रुवरसस गुप्ता, एडवर्ससॉकेट, प्रतिवादी के लिए।

अशोक कुमार वर्मा, जे।

(1) अपीलार्थी-पति इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया है जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अंबाला द्वारा पारित दिनांक 11-12-2018 के निर्णय और डिक्री को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 और 13 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') के तहत उसके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(2) यह अपीलकर्ता का मामला है कि उसके और प्रतिवादी के बीच विवाह सरहिंद क्लब, अंबाला कैंट में सिख संस्कारों और समारोहों के अनुसार 18.11.2010 पर किया गया था।विवाह सरल तरीके से किया गया था, जिसमें कोई दहेज नहीं दिया जाता था या न ही लिया जाता था।शादी के बाद दोनों कुछ समय के लिए साथ रहे।प्रतिवादी द्वारा अपनाई जा रही देरी की रणनीति के कारण शादी पूरी नहीं हो सकी।विवाह की शुरुआत से ही प्रतिवादी का रवैया और विरोध अच्छा नहीं था।

अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अच्छा और सौहार्दपूर्ण नहीं है। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर अपने माता-पिता के घर में 'घर जवई' के रूप में अलग से रहने के लिए दबाव डाला।उनकी माँ द्वारा प्रतिवादी को दिए गए प्रतिकूल विरोध के कारण उनके बीच विवाह पूरा नहीं हो सका।प्रतिवादी कभी भी ने उसे उसके साथ सह-अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी।अपीलकर्ता की माँ कैंसर से पीड़ित थीं और उनके पिता हृदय रोगी थे।प्रतिवादी ने अपने बूढ़े बीमार माता-पिता की देखभाल करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।प्रतिवादी के पूछने पर, 18.05.2011 पर अपीलकर्ता प्रतिवादी को लखनऊ में अपने माता-पिता के घर पर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ वह Ph. D. में प्रवेश लेना चाहती थी। वह एक हीरे की अंगूठी, हीरे के पैंडल के साथ एक सोने की चेन, दो सोने के करास, हीरे के टॉप की एक जोड़ी, पैंडल के साथ एक सोने की चेन, एक हीरे का पैंडल, एक हार, सोने की अंगूठियों की एक जोड़ी, एक रजत उपयोगकर्ता की अंगूठी, फिवर्स सूट, छह साड़ियां और मेकअप किट अपने साथ ले गई।उस समय, अपीलकर्ता भारतीय सेना में फील्ड मेजर के रूप में कार्यरत था और तीव्र विद्रोह विरोधी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात था।जब अपीलकर्ता अगस्त 2011 के महीने

में अपनी नौकरी से वापस आया, तो वह अपनी माँ गुरबचन कौर के साथ प्रतिवादी को उसके वैवाहिक घर वापस लाने के लिए लखनऊ गया, लेकिन प्रतिवादी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया।इसके बाद, अपीलार्थी की बहन राजिंदर कौर प्रतिवादी को अपने वैवाहिक घर वापस लाने के लिए आईडी1 पर लखनऊ गई, लेकिन उसने फिर से वापस आने से इनकार कर दिया।पंचायतों की संख्या पर चर्चा की गई लेकिन प्रतिवादी ने अपीलार्थी की कंपनी में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।अपीलकर्ता ने 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत याचिका दायर की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई थी, जिसमें प्रतिवादी को पारिवारिक न्यायालय बनाम निर्णय और डिक्री दिनांक 23.12.2013 द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की गई थी।इंडियन आर्मी वाइवर्सस वेलफेयर एसोसिएशन ने भी दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए बहुत प्रयास किए। जनवरी, 2014 के दौरान आस्था ब्रेवर्स्यूज हार्ट सेल, सेंट्रल कमांड, लखनऊ में संयुक्त परामर्श के दो सत्र आयोजित किए गए थे, लेकिन वे व्यर्थ रहे क्योंकि प्रतिवादी ने अपीलार्थी-पति की कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता का मामला यह भी है कि उसके और प्रतिवादी के बीच विवाह को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि 1955 के अधिनियम की खंड 12 (1) के तहत विवाह संपन्न नहीं हुआ है।प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर अपीलकर्ता को छोड़ दिया।उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्रूरता का शिकार बनाया।इसलिए, अपीलकर्ता ने क्रूरता और पलायन के आधार पर हस्तक्षेप करने के आदेश की मांग की।

(3) प्रतिवादी-पत्नी ने राजवीर सिंह बनाम गगनजोत कौर को स्वीकार करते हुए याचिका का विरोध किया

(अशोक कुमार वर्मा, जे.)

पक्षों के बीच संबंध।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि शादी सरल तरीके से की गई थी या शादी में कोई दहेज नहीं दिया गया था या नहीं लिया गया था।वास्तव में, शादी बहुत धूमधाम और प्रदर्शन के साथ संपन्न हुई थी।उनके पिता ने शादी पर Rs.25,00,000/- से अधिक खर्च किया।एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल, महंगे घरेलू सामान और नकद राशि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को रिंग समारोह और विवाह समारोह के समय की गई मांग के अनुसार दी गई थी।अपीलकर्ता ने कार को अपने नाम से पंजीकृत नहीं कराया।उन्होंने कार

के दस्तावेजों को उनके करीबी रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद ही वापस कर दिया। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि शादी पूरी नहीं हुई थी।अपीलकर्ता के साथ उनके प्रवास के दौरान इसे विधिवत पूरा किया गया था।उसने इस बात से इनकार किया कि उसके प्रेमी ने अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूरता की थी।वास्तव में, अपीलकर्ता ने स्वयं अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया था।इस बात से भी इनकार किया गया कि प्रतिवादी की माँ उसके वैवाहिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी।प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था।अपीलकर्ता उसे पी. एच. डी. में प्रवेश लेने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक था। अपीलकर्ता और उसके माता-पिता उसके साथ झगड़ा करते थे।उसने इस बात से इनकार किया कि अपीलकर्ता और उसकी माँ उसे वापस लेने के लिए लखनऊ आए थे।उसने आरोप लगाया कि इसके बजाय उन्होंने पैसे की अवैध मांग की और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया।इस बात से इनकार किया गया कि उसने अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया था।प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता उसकी पिटाई करता है और उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल देता है।यह आगे अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी ने 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए एक वकील को नियुक्त किया, लेकिन उसके वकील की ओर से कुछ चूक के कारण, न तो वह और न ही उसका वकील अदालत में पेश हो सका।जैसे ही उन्हें एकपक्षीय आदेश के बारे में पता चला, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दायर किया। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि लखनऊ में आर्मी वाइवर्सस वेलफेयर एसोसिएशन ने वैवाहिक विवाद को निपटाने के लिए कोई प्रयास किया। अपीलकर्ता द्वारा भेजी गई डिक्री की प्रति वाला कोई भी पंजीकृत प्रत्यावेदन उसके द्वारा प्राप्तकर्ता नहीं था।प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि उसने जनवरी, 2014 के महीने में आस्था ब्रेवर्सस हार्ट सेल, सेंट्रल कमांड, लखनऊ में आयोजित किसी भी परामर्श के दौरान अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया था।उसने इस बात से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता और उसकी माँ को सार्वजनिक रूप से गाली दी और उनका अपमान किया।यह आरोप लगाया जाता है कि वास्तव में अपीलकर्ता ने उसे परेशान करने के लिए उसके अध्ययन के स्थान को गलत तरीके से पेश किया।प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता के परिवार में खुद को समायोजित करने की कोशिश

नहीं की ।यह अपीलकर्ता ही है जिसने 964 की अनुचित मांग करके उसका जीवन खराब कर दिया है।

दहेज देकर उसे छोड़ दिया ।अपीलकर्ता अपन गलतीक विरोध नहि कऽ सकैत अछि ।इसलिए उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग की।

(4) पक्षों की दलीलों से, परिवार न्यायालय द्वारा 06.08.2015 पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:-

"1. क्या याचिकाकर्ता आरोप के अनुसार अनुरोध किए गए आधारों पर विचलन की डिक्री का हकदार है?ओपीपी

2. क्या याचिका वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं है?ओ. पी. आर

3. राहत मिलती है।

(5) अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए, अपीलकर्ता-पति ने अपने मामा कर्नल सुरिंदर सिंह से पीडब्लू 2 और हरदेवर्सस सिंह से पीडब्लू 3 के रूप में पूछताछ आदेश के अलावा, पीडब्लू 1 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा ।उन्होंने दस्तावेजी साक्षय को Ex.P1 से Ex.P6 और रिकॉर्ड पर चिह्नित अन्य दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया।

(6) दूसरी ओर, प्रतिवादी अपनी माँ हरजिंदर कौर को आर. डब्ल्यू. 2 के रूप में जाँचने के अलावा स्वयं आर. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुआ ।उन्होंने Ex.R1 से Ex.R6 तक वृत्तचित्र साक्षय का भी नेतृत्व किया और आर. जे. को चिह्नित करने के लिए आर. बी. को चिह्नित किया।

(7) परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी-पति के खिलाफ निष्कर्षों को वापस कर दिया है और प्रतिवादी-पत्नी के मामले में मुद्दा संख्या 1 का फैसला किया है ।पर्यवेक्षकों का मानना था कि अपीलकर्ता यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था कि प्रतिवादी ने वैवाहिक संबंध को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी सोसाइटी से वापस ले लिया था ।इसलिए, अपीलकर्ता को 1955 के अधिनियम की खंड 13 (1) (i-b) के तहत विचलन की डिक्री का हकदार नहीं ठहराया गया था।

(8) अपीलार्थी-पति के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 1955 के अधिनियम की धारा 12 और 13 के तहत अपीलार्थी-पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री गलत है और रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत है ।उन्होंने आगे तर्क दिया कि पत्नी ने स्वयं मई 2011 के महीने में वैवाहिक घर छोड़ दिया है और अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए प्रयास विफल हो गए क्योंकि उसने वैवाहिक घर आने से इनकार कर दिया था और कोई समस्या भी नहीं थी ।अपने प्रेमी से बीमार और थके हुए होने के कारण और अपनी शादी को बचाने के लिए, अपीलकर्ता ने 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की और इसे पारिवारिक राजवीर सिंह बनाम गगनजोत कौर द्वारा पारित अपने पक्ष बनाम हमारे निर्णय और डिक्री में एकपक्षीय घोषित किया गया था।

965

(अशोक कुमार वर्मा, जे.)

अदालत, अंबाला ।अपीलकर्ता के प्रति धातु क्रूरता का उदाहरण इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने दिनांक 23.12.2013 के वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए दिनांक 19.03.2014 का आवेदन दायर किया था ।इसके अलावा, इंडियन आर्मी वाइवर्सस वेलफेयर एसोसिएशन ने भी उनकी शादी में सुलह करने के प्रयास किए, जो व्यर्थ साबित हुआ ।प्रत्यर्थी-पत्नी ने भी अपीलकर्ता के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर जोर दिया। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रतिवादी एक आदतन वादकारी है और उसने अपीलकर्ता को मानसिक रूप से परेशान आदेश के लिए उसके खिलाफ असंख्य मामले दर्ज किए हैं ।उन्होंने 1955 के अधिनियम की खंड 24 के तहत एक याचिका दायर की और खंड 125 Cr.P.C के तहत आवेदन किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया ।उसने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 498-ए, 323,504 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत झूठी प्राथमिकी आर. दर्ज की, जिसमें अपीलकर्ता की मां को क्लीन चिट दी गई है ।इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विवाह के सुलह की कोई संभावना नहीं है और विवाह अपरिहार्य रूप से टूट गया है और वे 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, जिस पहलू पर निचली अदालत ने विवादित निर्णय और डिक्री

पारित करते समय विचार नहीं किया है।उसकी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णयों पर भरोसा रखा

अनगल्ला पद्मलाथा बनाम ए. सुंदरशन राव 1, के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा 2, अशोक कुमार रथ बनाम श्रीमती के मामले। अन्नपूर्णा रथ 3, सुखविंदर कौर बनाम गुरमेल सिंह,

1994 के एफ. ए. ओ.-5-एम ने 07.01.2016 जॉयदीप मजूमदार बनाम

भारती जायसवाल मजूमदार 4, शिनो जी. बाबू बनाम बीना एम. एस., मैट।

2020 की अपील No.43 पर निर्णय लिया गया 04.02.2022; मुनीश बजाज बनाम मनीषा भूटानी, 2015 की एफएओ-5254 ने 20.12.2021 पर निर्णय लिया और

देवानंद तमुली बनाम श्रीमती ककुमोनी कटकी, सिवर्ससिल अपील

2022 का No.1339 15.02.2022 पर तय किया गया।

(9) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने निचली अदालत द्वारा पारित विवादित फैसले और डिक्री को सही ठहराने की मांग की और तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने 1 1999 एससीसी ऑनलाइन एपी 689 का कोई आधार नहीं बनाया है।

2 आकाशवाणी 2013 एससी 2176

3 2019(2) आई. एल. आर. (कटक) 316

4 (2021) 3 उच्चतम न्यायालय के मामले 742 966

1955 के अधिनियम की खंड 13 (1) (i-b) के प्रावधानों के तहत विचार के अनुसार उपयोग में परिवर्तन प्रदान करना।यह अपीलकर्ता ही है जिसने प्रतिवादी के साथ दुर्व्यवहार करके और दहेज की मांग करके क्रूरता की और उससे छुटकारा पाने के इरादे से उसे उसके वैवाहिक घर में छोड़ दिया।प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक कलह को दूर करने का प्रयास किया।अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ धोखाधड़ी करके और न्यायालय से सत्य और भौतिक तथ्यों को छिपाकर 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की।अपीलकर्ता प्रतिवादी की ओर से किसी भी कार्य को

लागू करने में विफल रहा है, जो शारीरिक या मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।प्रतिवादी द्वारा कानूनी उपायों का पीछा करना क्रूरता नहीं है। प्रतिवादी के खिलाफ केवल अस्पष्ट और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। इसलिए, उन्होंने वर्तमान अपील को खारिज करने की मांग की।उनकी दलीलों के समर्थन में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने राम दास बनाम श्रीमती के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। कुसुम 5 और रावेरसुसी

कुमार बनाम जूल्मी देवरसुसी 6.

(10) हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई नदी-जल संबंधी दलीलों पर विचार करते हैं और अभिलेखों का अवलोकन करते हैं।

(11) वैवाहिक मामले नाजुक मानवीय और भावनात्मक संबंधों के मामले हैं।यह जीवनसाथी के साथ उचित समायोजन के लिए पर्याप्त खेल के साथ आपसी विश्वास, सम्मान, सम्मान, प्रेम और स्नेह की मांग करता है।संबंधों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। आदेश इसे सार्वभौमिक लोगों के साथ-साथ व्यापक दृष्टिकोण से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक अच्छी तरह से बुने हुए, स्वस्थ और अशांत और छिद्रपूर्ण समाज के निर्माण के लिए वैवाहिक मानदंडों को विनियमित किया जा सके।विवाह की संस्था सामान्य रूप से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका निभाती है।

(12) यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह सरहिंद क्लब, अंबाला कैंट में 18.11.2010 पर संपन्न हुआ था।लेकिन उनके पास कोई समस्या नहीं थी।मई 2011 के महीने में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की कंपनी छोड़ दी और पी. एच. डी. में प्रवेश पाने के बहाने अपने माता-पिता के घर चला गया। जब अपीलकर्ता गया और उससे वापस आने का अनुरोध किया, तो उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया।अपीलकर्ता और उसके संबंधियों द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल रहे।

5 2001(3) आर. सी. आर. (सिवर्ससिल) 632 6 2010 (2) आर. सी. आर. (सिवर्ससिल) 178 राजवीर सिंह बनाम गगनजोत कौर

बनाम ।यह प्रत्यर्थी-पत्नी का विशिष्ट मामला है कि अपीलार्थी-पति ने स्वयं उसे छोड़ दिया ।परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों के विरोध पर विचार करते हुए 1955 के अधिनियम की खंड 12 और 13 के तहत पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(13) अत्यधिक परिस्थितियों को देखते हुए, गुण-दोष पर अपील के साथ आगे बढ़ने से पहले, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्ष लगभग दस साल से अलग रह रहे हैं, मामले को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था ताकि समझौते की संभावना देखी जा सके। बनाम साइड आदेश दिनांक 12.03.2019, पक्षों को उसी दिन इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था ।21.05.2019 पर, इस न्यायालय को सूचित किया गया कि पक्षों के बीच मध्यस्थता विफल हो गई है और अपील को तर्क के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था ।अंत में मामले की सुनवाई की गई और 04.03.2022 पर पुनः प्रस्तुत किया गया।

(14) यह विवाद में नहीं है कि, अपीलकर्ता के अनुसार, मई 2011 के महीने में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर वापस चली गई और कभी भी उपयोगकर्ता वापस नहीं आया ।अपीलकर्ता पहले से ही तैयार है और प्रतिवादी को अपने साथ वापस लेने के लिए तैयार है ।प्रतिवादी को उसके वैवाहिक घर वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के बाद और जब प्रतिवादी ने अपनी कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो उसने 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें दो बार प्रतिवादी को एकपक्षीय आगे बढ़ाया गया था। 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत दायर याचिका में एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित करने के बाद, प्रतिवादी ने उक्त निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह कभी भी अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने का इरादा नहीं रखती थी ।(15) प्रतिवादी सेना में अपीलकर्ता के वरिष्ठों से प्रतिकूल शिकायतें कर रहा था ताकि अपीलकर्ता के करियर की प्रगति प्रभावित हो ।उसने सेना प्रमुख को दिनांकित 29-11-2013 को एक पत्र लिखा जिसमें अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग, गैर-रखरखाव और उत्पीड़न के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे ।उन्होंने अनुरोध किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।प्रतिवादी ने अन्य

अधिकारियों को प्रतिकूल शिकायतें भी कीं और अन्य मंचों पर मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की।अतिचार का शुद्ध परिणाम यह है कि अपीलार्थी के कार्यकाल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा था।प्रतिवादी द्वारा यह स्पष्टीकरण कि वह कानून के अनुसार अपने कानूनी उपायों का पालन कर रही थी, मामले 968 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए पर्यवेक्षकों के आलोक में मान्य नहीं है।

जयदीप मजूमदार बनाम भारती जैसवाल मजूमदार 7, जिसमें

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- "14. पत्नी का यह स्पष्टीकरण कि उसने वैवाहिक संबंधों की रक्षा के लिए उन शिकायतों को किया था, हमारे दृष्टिकोण में अपीलकर्ता की गरिमा और प्रतिष्ठा को कम आदेश के लिए उसके द्वारा किए गए लगातार प्रयास को उचित नहीं ठहराएगा।इस तरह की परिस्थितियों में, अन्यायपूर्ण पक्ष से वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और उसके लिए अलगाव की मांग करने के लिए पर्याप्त औचित्य है।"

(16) उपरोक्त पत्र के अनुसार, पक्षों की संयुक्त परामर्श ब्रेवर्सस हार्ट सेल/आस्था सेल, मुख्यालय केंद्रीय कमान द्वारा की गई थी, लेकिन इसके प्रयास व्यर्थ साबित हुए।अध्यक्ष, ब्रेवर्स्यूज हार्ट सेल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इसे निम्नानुसार पर्यवेक्षकों द्वारा देखा गया है:-

"(क) श्रीमती गगनजोत के माता-पिता अपने इकलौते बच्चे का अत्यधिक उपयोग करते हैं।

(ख) श्रीमती गगनजोत कौर की माँ मेजर राजवीर सिंह के साथ अपनी बेटी के समझौते के प्रति इच्छुक नहीं हैं।

(ग) उसके माता-पिता न तो सुलह के लिए इच्छुक हैं और न ही अलग-अलग प्रयास करने के लिए।यह सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि माता-पिता चाहते हैं कि स्थिति बनी रहे यानी लड़की उनके साथ लखनऊ में रहती है।

(घ) मेजर राजवरसूर सिंह के माता-पिता एक साधारण दंपति हैं और उनकी माँ कैंसर से पीड़ित हैं।उनकी एकमात्र इच्छा है कि वे सुलह के लिए सभी प्रयास

करें, हालांकि, सापेक्षता लाने के उनके सभी प्रयासों का लड़की/उसके माता-पिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ई) मेजर राजवीर सिंह मामले के समाधान की मांग करने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने श्रीमती गगनजोत कौर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं लेकिन वे सफल नहीं हुए हैं।

(च) अधिकारी ने पारिवारिक न्यायालय, अंबाला में पुनर्स्थापन और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की खंड 9 के तहत एक व्यापक मामला दायर किया था।कुल 11 सुनवाई हुईं।श्रीमती गगनजोत कौर ने कभी भी अदालत की सुनवाई के लिए खुद को पेश नहीं किया था और 7 (2021) 3 उच्चतम न्यायालय के मामले 742 राजवीर सिंह बनाम गगनजोत कौर

फैसला मेजर राजवीर सिंह के हक में दिया गया है।"

(17) प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील रिकॉर्ड पर किसी भी संदेह को इंगित करने में असमर्थ है, जो यह साबित करता है कि प्रतिवादी अपनी ओर से एक कार्य/कदाचार के कारण अपने पति की कंपनी में शामिल होने में समर्थ नहीं था। प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के अपीलकर्ता को छोड़ दिया और उसने 1955 के अधिनियम की खंड 9 के तहत पारित आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।बल्कि उसने अपीलकर्ता के करियर की प्रगति को प्रभावित करने के लिए उसके वरिष्ठों से झूठी शिकायतें कीं।अपीलकर्ता-पति प्रतिवादी की ओर से त्याग को बढ़ावा देने में सफल रहा है, जो अपीलकर्ता की कंपनी से हटने के लिए किसी भी उचित या पर्याप्त कारण को साबित करने में असमर्थ रहा है।यदि वह अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने में रुचि रखती, तो वह इसे दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने के बजाय परिवार न्यायालय के आदेश का पालन करती।
(18) अपीलकर्ता-पति द्वारा दायर याचिका के जवाब में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता, उसकी माँ और पिता के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 498-ए, 323,504 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत उपरोक्त प्राथमिकी आर. दर्ज की।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता की माँ का नाम उपरोक्त प्राथमिकी आर. से हटा दिया गया है। अपनी सास, जो कैंसर से पीड़ित

है, के खिलाफ निराधार, अभद्र और मानहानिकारक आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने में प्रतिवादी-पत्नी का आचरण इंगित करता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए कि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता को जेल में डाल दिया जाए और अपीलकर्ता को उसकी नौकरी से हटा दिया जाए।हम इस बात में कोई संदेह नहीं करते हैं कि इस आचरण ने अपीलार्थी-पति के प्रति मानसिक क्रूरता पैदा की है।

(19) वर्तमान अपील में विचार के लिए मुद्दा यह होगा कि क्या पति और पत्नी का संबंध समाप्त हो गया है और क्या प्रत्यर्थी-पत्नी अपीलार्थी-पति को पारस्परिक रूप से अलग करने के लिए तैयार नहीं है, क्या उसका यह कार्य पति के प्रति क्रूरता के बराबर होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पिछले दस वर्षों से अपने पति के साथ नहीं रह रही है और इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वे फिर से पति और पत्नी के रूप में सह-वास कर सकते हैं।इस स्तर पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है

चंद्र कला त्रिवेरसुसेदी बनाम डॉ. S.P.Triversusedi 8 का मामला

जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें विवाह को अपरिहार्य रूप से तोड़ दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया कि इनमें

8 1993 (4) एससीसी 232

इस मामले में, विवाहेतर संबंध की डिक्री दी जा सकती है जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए हैं कि विवाह व्यावहारिक रूप से मृत प्रतीत होता है और पक्ष एक साथ नहीं रह सकते हैं।

(20) इस स्तर पर ए. जयचंद्र बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।अनील कौर 9 जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय मानसिक क्रूरता सहित क्रूरता के आधार पर भेदभाव के मामले पर विचार करने के लिए एक अवसर का उपयोग कर रहा था। अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों और अवहेलना की जांच करते हुए, न्यायाधीशालय ने इस बात पर जोर दिया कि क्रूरता का आरोप ऐसी प्रकृति का है जिसमें विवाह को फिर से शुरू करना संभव नहीं है, हालांकि, प्रतिकूल निर्णयों

का उल्लेख करते हुए, न्यायाधीशालय के पर्यवेक्षकों ने कहा कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना वैधानिक आधारों में से एक नहीं है जिस पर न्यायाधीशालय विवाह को भंग करने का निर्देश दे सकता है, इस न्यायाधीशालय के पास पूर्ण न्यायाधीश करने और लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में लगे पक्षों की पीड़ा को कम करने के लिए एक दृष्टिकोण है, जो उन मामलों में विवाह को भंग करने के निर्देश में है।पैरा 17 में, इसे निम्नानुसार पर्यवेक्षकों द्वारा प्रयोग किया गया है:-

"17. भिन्न भिन्न निर्णय, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए उद्धृत किया गया था कि यदि विवाह ने अपरिवर्तनीय रूप से उल्लंघन किया है तो विवाहेतर निर्णय की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है।इन सभी मामलों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि चरम मामलों में अदालत इस आधार पर विवाह के विघटन का निर्देश दे सकती है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था जैसा कि श्याम सुंदर मामले के पैरा 9 से स्पष्ट है।प्रत्येक अन्य मामले में तथ्यात्मक स्थिति भी अलग-अलग है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शारीरिक संगति की लंबे समय तक की अनुपस्थिति में अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के लिए एक आधार नहीं हो सकती है यदि यह पति के आचरण के कारण था।श्याम सुंदर के मामले में यह उल्लेख किया गया था कि पति व्यभिचारी जीवन जी रहा था और वह अपनी पत्नी का विरोध स्वीकार नहीं कर सकता था।यद्यपि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि उक्त मामला समान था, लेकिन दुर्भाग्य से वह दोनों मामलों में प्रासंगिक तथ्यात्मक अंतर पर ध्यान देने में विफल रहा।यह सच है कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना उन वैधानिक आधारों में से एक नहीं है जिन पर न्यायालय विवाह के विघटन का निर्देश दे सकता है, इस न्यायालय के पास पूरा करने के लिए एक विरोध है।

9 2005 (2) एस. सी. सी. 22 राजवीर सिंह बनाम गगनजोत कौर

971

(अशोक कुमार वर्मा, जे.)

लेकिन जैसा कि उक्त मामलों में स्वयं के विपरीत उल्लेख किया गया है, वे असाधारण मामले थे।"

(21) माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवरुसीन कोहली बनाम नीतू कोहली 10 के एक मामले में विवाह के अक्षम्य टूटने के मामले पर विचार कर रहा था।इस मामले में, पत्नी लंबे समय तक अलग रहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह आपसी सहमति से अलग हो जाए और केवल अपने पति के जीवन को दयनीय बना दे।इस प्रकार, विवाहेतर संबंध का आदेश दिया गया और कहा गया कि यह एक क्रूर व्यवहार है और यह दर्शाता है कि विवाह अपरिहार्य रूप से टूट गया था। पैरा 62,67,68 और 69 में इसे निम्नानुसार पर्यवेक्षकों द्वारा देखा गया है:-

"62. हालांकि इस स्तर पर, प्रतिवादी पारस्परिक सहमति से अलग होना नहीं चाहता है।पूरे आक्षेप के विश्लेषण और अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने केवल अपीलकर्ता के लिए भी जीवन को एक दयनीय नरक बनाने के लिए पीड़ा में रहने का संकल्प लिया है।इस प्रकार का अडिग और कठोर रवैया, इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में, हमारे मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार करने पर आमादा है।यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपरिहार्य रूप से टूट गया था और उनके एक साथ आने या फिर से एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है।उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के विवाह का संरक्षण पूरी तरह से अव्यवहारिक है जो प्रभावी होना बंद हो गया है और पक्षकारों के लिए दुख का बड़ा स्रोत होगा।

XXX XXX XXX

67. उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर मानवीय समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है।तत्काल मामले में, अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की डिक्री नहीं देना पक्षों के लिए विनाशकारी होगा।अन्यथा, पक्षों के लिए आशा की एक किरण हो सकती है कि समय बीतने के बाद (अलग-अलग उपयोगकर्ताओं का आदेश प्राप्त करने के बाद) पक्ष मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से बस सकते हैं और जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं।

68. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, विशिष्ट की ओर देखते हुए

10 2006 (4) एससीसी 558 972

मामले के तथ्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया था ।हमारी राय में, विवेक जीवन की व्यावहारिक वास्तविकता को स्वीकार करने और एक निर्णय लेने में निहित है जो अंततः दोनों पक्षों के हित में होगा।

69. नतीजतन, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए ।मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, सभी संबंधितों के हित में समस्या का समाधान करने के लिए, पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करते हुए, हम अपीलकर्ता को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान किए जाने वाले स्थायी भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी को

<25,00,000/- (पचीस लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं ।इस राशि में निचली अदालत के निर्देश पर अपीलकर्ता द्वारा जमा किए गए रुपये (ब्याज के साथ पांच लाख रुपये) शामिल होंगे ।प्रतिवादी इस राशि को ब्याज के साथ निकालने के लिए स्वतंत्र होगा ।इसलिए, अब अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी को केवल Rs.20,00,000/- (बीस लाख रुपये) का भुगतान करेगा। यदि अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर संकेतित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो हमारे द्वारा दिया गया निर्देश कोई प्रतिकूल नहीं होगा और अपील खारिज हो जाएगी ।स्थायी भरण-पोषण प्रदान करने में हम अपीलकर्ता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हैं।"

(22) वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच विवाह अपरिहार्य रूप से टूट गया था और उनके एक साथ आने या फिर से एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है ।इसके अलावा, अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की डिक्री नहीं देना पक्षों के लिए विनाशकारी होगा।

(23) समर घोष बनाम जया घोष 11 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मानसिक क्रूरता के आधार पर आदेश पारित किया, लेकिन भारत के विधि आयोग की 71 वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(24) के. श्रीनिवर्सुसास के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

(अशोक कुमार वर्मा, जे.)

राव बनाम डी. ए. दीपा 12 ने पर्यवेक्षकों का तर्क दिया है कि हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना विवाहेतर संबंध के लिए कोई आधार नहीं है, लेकिन इसके विपरीत, विवाह जो सभी उद्देश्यों के लिए मृत है, अदालत के फैसले द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है, यदि पक्षकार इच्छुक नहीं हैं क्योंकि विवाह मानव भावनाओं और भावनाओं को विपरीत करता है और यदि वे सूख जाते हैं, तो अदालत के आदेश द्वारा बनाए गए कृत्रिम पुनर्मिलन के कारण उनके जीवन में वापस आने की शायद ही कोई संभावना है।

(25) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक बार जब दोनों पक्ष अलग हो जाते हैं और काफी समय तक अलग रहना जारी रहता है और उनमें से किसी ने भी अलग-अलग याचिका दायर की है, तो यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि शादी टूट गई है ।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को पक्षकारों के बीच सुलह करने के लिए गंभीरता से एक बचावात्मक प्रयास करना चाहिए; फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि टूटना अपूरणीय है, तो विचलनकारी उपयोगकर्ता को नहीं रोका जाना चाहिए ।लंबे समय से प्रभावी होना बंद कर दिए गए अव्यवहारिक विवाह के कानून में संरक्षण के परिणाम पक्षों के लिए अधिक दुख का स्रोत होने के लिए बाध्य हैं।

(26) वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी मई, 2011 से अलग-अलग आवेदन कर रहे हैं ।सबसे पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा से वैवाहिक विवाद को हल करने के प्रयास किए गए, जो व्यक्तिगत विवाद को हल करने में वैकल्पिक उपयोग तंत्र के प्रभावी रूप में से एक है, लेकिन पक्षों के बीच मध्यस्थता विफल रही।

(27) वर्तमान मामले के तथ्यों के दुरुपयोग-उल्लिखित निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए और मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अंबाला द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी-पति के पक्ष में तदनुसार अलग-अलग आदेश दिया जाता है ।तदनुसार डिक्री-शीट तैयार की जाए।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator Vijay Girdhar